भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 378
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका के अवसंरचनात्मक विकास हेतु अनुदान

378. श्री एस. रामलिंगम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पूरी की गई/चल रही परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित राज्यों को न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत दिए गए अनुदानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : न्याय विकास पोर्टल 02 पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अंतिम तीन वर्षों के दौरान न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन पूरी की गई या चल रही परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण उपाबंध-1 में है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, अंतिम पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित राज्यों में न्यायपालिका के लिए विकास और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन दिए गए अनुदान से संबंधित विवरण उपाबंध-2 में है ।

(ग) : 30-04-2022 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें राष्ट्रीय निकाय स्थापित नहीं करने का संकल्प लिया गया और इसके स्थान पर इसे राज्य स्तर पर न्यायिक अवसंरचना के लिए समिति बनाने पर सहमति हुई थी जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अपने नामनिर्देशिती होंगे और निकट समन्वय से काम करेंगे ।

****

<u>उपाबंध-1</u>

<u>लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 378, जिसका उत्तर 03-02-2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।</u>

		बने हुए न्यायालय कक्ष			बन रहे न्यायालय कक्ष
क्र. सं.	**राज्य और संघ राज्यक्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23***	**31.01.2023 तक यथा विद्यमान**
1	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	0	3	32	99
3	अरुणांचल प्रदेश	0	0	0	2
4	असम	0	0	17	99
5	बिहार	24	31	8	86
6	चंडीगढ़	0	0	0	1
7	छत्तीसगढ़	18	8	6	25
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	3
10	दिल्ली	24	0	141	50
11	गोवा	0	0	0	28
12	गुजरात	0	0	2	140
13	हरियाणा	8	14	0	75
14	हिमाचल प्रदेश	0	3	0	14
15	जम्मू-कश्मीर	1	0	0	46
16	झारखंड	0	0	0	0
17	कर्नाटक	65	87	51	144
18	केरल	15	0	18	46
19	लद्दाख	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	34	22	8	412
22	महाराष्ट्र	0	0	0	601
23	मणिपुर	0	0	0	5
24	मेघालय	0	0	0	30
25	मिजोरम	0	0	0	26
26	नागालैंड	0	0	0	12
27	उड़ीसा	35	51	0	53
28	पुड्डुचेरी	7	0	0	0
29	पंजाब	7	0	0	72
30	राजस्थान	43	15	6	194
31	सिक्किम	0	0	1	0
32	तमिलनाडु	50	8	35	0
33	तेलंगाना	12	12	0	45
34	त्रिपुरा	0	10	0	22
35	उत्तर प्रदेश	0	150	10	289
36	उत्तराखंड	0	6	0	70
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	91
योग		**343**	**420**	**335**	**2780**

31.01.2023 तक यथा विद्यमान

<u>**उपाबंध-2**</u>

<u>**लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 378, जिसका उत्तर 03-02-2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।**</u>

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*	Total
1	आन्ध्र प्रदेश	0.00	1000.00	2000.00	1028.00	0.00	0.00	4028.00
2	बिहार	4290.00	6204.00	8762.00	6572.00	0.00	0.00	25828.00
3	छत्तीसगढ़	0.00	1968.00	1983.00	784.00	0.00	6000.00	10735.00
4	गोवा	0.00	315.00	406.00	380.00	320.00	2500.00	3921.00
5	गुजरात	5000.00	1502.00	1649.00	1350.40	0.00	0.00	9501.40
6	हरियाणा	1500.00	1191.00	1406.00	2200.00	0.00	0.00	6297.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	408	572	550	0.00	0.00	1530.00
8	जम्मू-कश्मीर	1000.00	1901.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	4401.00
9	झारखंड	5000	959	1374	905	600	1250.00	10088.00
10	कर्नाटक	5000.00	3812.00	4404.00	2972.00	2700.00	8201.00	27089.00
11	केरल	2500.00	3082.00	1582.00	1300.00	5000.00	0.00	13464.00
12	मध्यप्रदेश	5000.00	7942.00	6690.00	4560.00	5500.00	12500.00	42192.00
13	महाराष्ट्र	5000.00	1058.00	6109.00	2311.00	1800.00	10000.00	26278.00
14	उड़ीसा	0.00	2250.00	3569.00	0.00	0.00	0.00	5819.00
15	पंजाब	5000.00	2647.00	3978.00	1647.60	1650.00	1250.00	16172.60
16	राजस्थान	1734.00	1741.00	6421.00	2990.00	4150.00	7166.00	24202.00
17	तमिलनाडु	0.00	609.00	3871.00	1817.00	3566.00	13385.00	23248.00
18	तेलंगाना	0.00	1000.00	565.00	1600.00	0.00	0.00	3165.00
19	उत्तराखंड	2500.00	2202.00	2850.00	586.00	8000.00	0.00	16138.00
20	उत्तर प्रदेश	7500.00	12806.00	16966.00	11100.00	21900.00	0.00	70272.00
21	पश्चिमी बंगाल	1734.00	3522.00	6143.00	3107.00	0.00	0.00	14506.00
	योग	**52758.00**	**58119.00**	**82800.00**	**47760.00**	**55186.00**	**62252.00**	358875.00
	उत्तर-पूर्वी राज्य							
1	अरुणांचल प्रदेश	0.00	0.00	269.00	500.00	409.00	3238.00	4416.00
2	असम	2000.00	3209.00	3654.00	2500.00	2740.00	0.00	14103.00
3	मणिपुर	0.00	887.00	966.00	500.00	0.00	1285.25	3638.25
4	मेघालय	863.00	1482.00	2285.00	771.00	2802.00	5000.00	13203.00
5	मिजोरम	2000.00	594.00	524.00	500.00	950.00	0.00	4568.00
6	नागालैंड	2000.00	321.00	342.00	500.00	1327.00	0.00	4490.00
7	सिक्किम	0.00	257.00	278.00	295.00	0.00	0.00	830.00
8	त्रिपुरा	0.00	0.00	1882.00	774.00	0.00	0.00	2656.00
	योग	**6863**	**6750**	**10200**	**6340**	**8228**	**9523.25**	47904.25
	संघ राज्यक्षेत्र							
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	131.00	16.79	35.36	0.84	0.00	183.99
2	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली	2500.00	0.00	4852.21	4500.00	3000.00	0.00	14852.21
6	जम्मू-कश्मीर				664.64	2000.00	1260.00	3924.64
7	लद्दाख				0.00	0.00	0.00	0.00
8	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	पुड्डुचेरी	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	955.25	1286.25
	योग	**2500**	**131**	**5200**	**5200**	**5000.838**	**2215.25**	**20247.09**
	कुल योग	**62121.00**	**65000.00**	**98200.00**	**59300.00**	**68414.84**	**73990.50**	**427026.34**

*** 01.02.2023 को यथा विद्यमान**

****